



To,
The Listing Department
Bombay Stock Exchange, Mumbai
PhirozeJeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai-400001

Date: 4/02/2020

Scrip Code:531334

Sub: COPIES OF BOARD MEETING NOTICE PUBLISHED IN NEWSPAPERS

Dear Sir,

Pursuant to regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we are attaching herewith scanned copies of the below mentioned newspapers in which we have published Notice of the Company's Board Meeting for considering Unaudited Financial Results for the quarter ended on 31.12.2019 for the aforesaid year of our Company :-

NAME OF NEWSPAPERS	DATED	LANGUAGE	EDITION
Financial Express	04 th February, 2020	English	Lucknow
Jansatta	04 th February, 2020	Hindi	Lucknow

Please take the aforesaid on records.

Thanking You,
For Vikalp Securities Limited



Arun Kejriwal
Managing Director
DIN : 00687890

Regd. Office : 25/38, Karachi Khana, Kanpur - 208 001 Uttar Pradesh
CIN : L65993UP1986PLC007727; Contact No. : 0512-2372665
E-mail Id : vikalpsecuritieslimited@gmail.com • Website : www.vikalpsecurities.com

पदाधिकारियों के अलावा आम मानस ने भी पूर्ण समर्थन दिया। जहर प्रमण के बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे सत्याग्रह आंदोलनकारियों का ज्ञापन लेने के लिए प्रशासन ने उपजिलाधिकारी को भेजा लेकिन पूर्व सांसद अनू टंडन जिलाधिकारी को बुलाने की मांग की। लेकिन बाद में ज्ञापन दे दिया।

पूर्व सांसद ने जिले भर से आए किसानों का नेतृत्व करते हुए भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया। कहा कि किसान व गाय की दुर्दशा हो रही है। पूर्व सांसद ने किसान व गाय की समस्याओं पर केंद्रित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। किसान सत्याग्रह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचने पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष ललितेशपति त्रिपाठ भी शामिल हुए।

विकल्प सेक्युरिटीस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 25/38, कराची खान, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001
सीआएफ: L65993UP1986PLC007727, टैलफोन: 0512-2372665

ई-मेल: vikalpsecuritieslimited@gmail.com

वेबसाइट: www.vikalpsecurities.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 47 (1) (a), विनियम 33 तथा विनियम 29 के अनुसरण में एफटिआर यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 10 फरवरी, 2020 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 25/38, कराची खान, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001 में होगी जिसमें, अन्य विषयों के अतिरिक्त, 31 दिसम्बर, 2019 को समान हुई तिमाही की अवधि के कंपनी के गैर लेखा पंजीकृत वित्तीय नतीजों पर विचार किया जाएगा और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। संबंधित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.vikalpsecurities.com तथा बायबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

विकल्प सेक्युरिटीस लिमिटेड के लिए

हस्ता./-
स्थान: कानपुर
दिनांक: 03 फरवरी, 2020
अरुण केजरीवाल
प्रबंध निदेशक
DIN (डिन): 00687890

आय असेवधानिक नए नागरिकता कानून के प्रति विरोध स्वरूप उठाया है। रविवार को रहमान को अलीगढ़ के लोढ़ा थाने ले जाया गया। रहमान ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें पुलिस ने एक नोटिस दिया है कि एएमयू में उनकी मौजूदगी से कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। लिहाजा, उन्होंने इसका पालन करने का फैसला किया है। वह प्रशासन की अनुमति लेने के

आय असेवधानिक नए नागरिकता कानून के प्रति विरोध स्वरूप उठाया है। रविवार को रहमान को अलीगढ़ के लोढ़ा थाने ले जाया गया। रहमान ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें पुलिस ने एक नोटिस दिया है कि एएमयू में उनकी मौजूदगी से कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। लिहाजा, उन्होंने इसका पालन करने का फैसला किया है। वह प्रशासन की अनुमति लेने के

मजदूर की सिर कुचल कर हत्या, बाप-बेटी गिरफ्तार

वाराणसी, 3 फरवरी (जनसत्ता)।

लंका थाना क्षेत्र के नुआंव गांव स्थित ईट-भट्टे पर सोमवार को मजदूर की हत्या सिर कुचल कर की गई। लंका थाने की पुलिस वाराणसी की तपतीश में जुट गई। पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर स्थल पर पहुंचे। मृतक के पिता की तहरीर पर लंका थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। लंका थाने के इंस्पेक्टर ने बताया कि नारायणपुर के रहने वाले सुनील कुमार सिंह का नुआंव गांव में ईट-भट्टे पर ईट पथाई को काम करने वाले नारायणपुर टंडिया निवासी नरसिंह बिंद (23) की सोते समय किसी हत्या कर दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएसपी ने बताया कि मौके से एक शबनम नामक युवती और उसके पिता भगेलू को गिरफ्तार किया गया। मृतक के पिता मोहन की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।

सीएए विरोधी बैनर पर छाए रहे गांधी-आंबेडकर

सहारनपुर, 3 फरवरी (जनसत्ता)

नागरिक संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लेकर खासकर मुसलिमों की विरोधस्वरूप प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आंदोलनकारी छात्र और मुसलिम समाज के लोग जामिया, शाहीन बाग की तर्ज पर देवबंद के दारूल उलूम क्षेत्र में आठ दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें विशेष बात यह है कि मुसलिम औरतों के घरना स्थल पर जो बड़े-बड़े बैनर लगे हैं, उन पर महात्मा गांधी और डॉ भीमराव आंबेडकर के फोटो एक

साथ लगाए गए हैं। महात्मा गांधी ने अछूतोद्धार के लिए जीवन पर्यंत आंदोलन चलाया। वे छुआछूत को बड़ा पाप मानते थे और उन्हें उस स्थिति से बाहर निकालने की प्रयासरत रहे। जबकि डॉ आंबेडकर का काम उन जातियों को जागरूक करने तक सीमित रहा। डॉ आंबेडकर छुआछूत को अपराध मानते थे। भारतीय नौजवान पीढ़ी खासकर युवा प्रगतिशील छात्रों का समूह गांधी और आंबेडकर को आज एक ही पाले में रखकर दोनों को याद कर रहा है और अपने अधिकारों के लिए उनके नाम का भरपूर

इस्तेमाल कर रहा है। दारूल उलूम क्षेत्र में मुसलिम औरतों के घरने पर 24 घंटे भारी भीड़ जुटी हुई है। शाहीन बाग और जामिया इलाके में शरारती युवकों द्वारा फायरिंग किए जाने की घटनाओं के बाद एसएसपी सहारनपुर दिनेश कुमार प्रभु ने देवबंद का दौरा कर वहां कैम्प कर रहे एसपी देहात विद्यासागर मिश्र को निर्देश दिए कि देवबंद के घरना स्थल की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। इसे ध्यान में रखते हुए रिपिड एक्शन फोर्स और महिला पुलिसकर्मीयों द्वारा घेराबंदी बढ़ा दी गई।

इंडियन बैंक

Indian Bank

अंचल कार्यालय: 2-बी, हबीबुल्लाह इस्टेट, 11, महात्मा गाँधी मार्ग, हज़रतगंज, लखनऊ

कब्जा नोटिस (नियम 8(1) के तहत अबल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इंडियन बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्थियों का प्रतिभूतिकरण का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8 और 9 के साथ संवदन 13 (12) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक द्वारा ऋणियों को मांग सूचना (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) जारी किया गया, जिसमें जाने यह कहा गया था कि उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर बकाये चुकता कर दें।

ऋणियों एवं जमानतकर्ताओं द्वारा राशि के चुकता न कर सकने पर एतद द्वारा ऋणियों एवं जमानतकर्ताओं व आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) नियम 8 और 9 के साथ पठित उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसमें नीचे लिखी सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है। ऋणियों व जमानतकर्ताओं को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य तौर पर सूचित किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सीदा करने में संकेत रहे और इन सम्पत्तियों के बारे में किसी प्रकार का सीदा नीचे लिखी राशि ब्याज और अन्य खर्च के लिए इंडियन बैंक के प्रचारों के अधीन होगा। हम आपके ध्यान सरकारी एक की धारा 13(6) और नियमों के प्राधान्यों की ओर आकर्षित करते हैं जो कि आपके प्रतिभूतिकरण से सम्बन्धित "Right of redemption" को दर्शाता है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता का नाम व पता / खाता सं.	अबल सम्पत्ति का विवरण	बकाया धनराशि मांग सूचना की तिथि कब्जा सूचना की तिथि
शाखा- गोपीगंज शाखा			
1.	ऋणकर्ता- श्री अमित कुमार जयसवाल, OCC खाता सं. 6566957519 टर्न लोन खाता सं. 6566967387	बंधक सम्पत्ति: सम्पत्ति के साम्यिक बंधक स्थित प्लॉट सं. 134, ग्राम कटौता, तालुका कोच, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला भदोही, श्रीमती अंजू देवी के नाम, चौहदरी (वर्तमान के अनुसार) - पूर्व: ऊपर उल्लिखित श्रीमती रेखा देवी का प्लॉट 3 फीट 3 इंच चौड़ी चक्र रोड (खंडवा), दक्षिण: जयप्रकाश सिंह की भूमि	बकाया धनराशि सं. 21,59,184.26 दिनांक 31.10.2019 से शमाही + उदार ब्याज/लाभ दिनांक 01.11.2019 मांग तिथि: 11.11.2019 कब्जा तिथि: 29.01.2020
शाखा- गोदोल्या शाखा			
1.	ऋणकर्ता- मेहरां वार्ड, एस.एस.एच.ए. प्रो.पी. श्री गंगेश कुमार श्रीवास्तव सुरक्षित ओडी खाता सं. 6281039440 WCLL खाता सं. 6730813706	बंधक सम्पत्ति: बैंक को गिरी रखी गई सम्पत्ति स्थित आराजी सं. 648, मौजा- भारती, परगना- देहात अमानत, तहसील व जिला वाराणसी, चौहदरी- पूर्व: शरद कुमार व प्रभात कुमार की भूमि पश्चिम: रास्ता 8 फीट चौड़ा, उत्तर: शरद कुमार व प्रभात कुमार की भूमि, दक्षिण: सीमा देवी की भूमि	बकाया धनराशि सं. 28,15,588.31 दिनांक 31.10.2019 से शमाही + उदार ब्याज/लाभ दिनांक 01.11.2019 मांग तिथि: 11.11.2019 कब्जा तिथि: 29.01.2020

दिनांक: 04.02.2020 स्थान: लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

हैदरपुर झील में बीस हजार पक्षियों की मौजूदगी का दावा

सहारनपुर, 3 फरवरी (जनसत्ता)।

हैदरपुर वेटलैंड पर आयोजित दो दिवसीय विश्व महोत्सव में देशभर से पधारे 75 पक्षी विशेषज्ञों ने दावा किया कि हैदरपुर की झील में फिलहाल करीब 20 हजार पक्षी मौजूद हैं, जिनमें 110 प्रवासी प्रजाति और 157 प्रजाति स्थानीय है। इनमें कई दुर्लभ और विलुप्त प्रजाति के पक्षी भी हैं, जिनके संरक्षण को वेटलैंड की कारगर प्रबंध व्यवस्था की कार्य योजना तैयार की गई है। मुंबई के पक्षी एवं प्रकृति इतिहास संस्थान के अध्यक्ष अरशद रहमान ने सोमवार को अंतिम सत्र में विस्तार से विचार रखे। उन्होंने कहा कि सात-आठ माह के अल्पकाल में ही हैदरपुर वेटलैंड पर किया गया काम संतोषजनक है और उसमें सुधार किए जाने की जरूरत है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के सीडओ रवि सिंह, मोहम्मद शाहनवाज खान और नितिन कौशल, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ इकोलाजी के अध्यक्ष ब्रज गोपाल ने भी विचार रखे। समापन समारोह में सभी पक्षी और प्रकृति विशेषज्ञों को सहारनपुर के कमिश्नर संजय कुमार ने स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया।

दो बच्चों के साथ जहर खा कर की खुदकुशी

बादायूं, 3 फरवरी (भाषा)।

थाना वजीरगंज क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद के कारण पत्नी ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने सोमवार को बताया कि बच्चों की तत्काल मौत हो गई जबकि महिला ने इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। उप जिला अधिकारी (बिसौली) सीपी सरोज ने बताया कि थाना वजीरगंज क्षेत्र के गांव अल्लुआ पसतौरा निवासी बिजनेस कुमार का अपनी पत्नी प्रेमवती से कई दिन से नन्द के विवाह को लेकर विवाद चल रहा था। प्रेमवती इस बात को लेकर बिजनेस से नाराज थी कि दो अन्य भाइयों के होते हुए नन्द के रिश्ते की जिम्मेदारी बिजनेस ने क्यों उठा रखी है। इसी

बात को लेकर रविवार दिन में दोनों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट भी हुई, जिसके बाद बिजनेस घर से चला गया पति के व्यवहार से क्षुब्ध प्रेमवती (36) ने रविवार रात गुस्से में अपने दोनों बेटों मोहित (8) व रोहित (5) को खाने में सल्फास मिलाकर खिलाया और फिर खुद भी निगल लिया। देर रात तीनों की हालत बिगड़ने लगी। बच्चों और प्रेमवती को उल्टी करते देख परिजन उन्हें बिसौली स्थित एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसके दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत में प्रेमवती को बरेली हायर सेंट्रल रेफर किया गया लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही वजीरगंज और बिसौली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी के शव को रागृह में रखवा दिया।

